संख्याः /वि0अनु01/2004

प्रेषक,

के0सी0मिश्र,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांकः 23 अप्रैल,2004

विषयः माह अप्रैल,2004 के वेतन आहरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या–259/वि0अनु01/2004 दिनांक 31 मार्च,2004 का सन्दर्भ ग्रहण करें,जिसके द्वारा माह मार्च,2004 का वेतन बजट आवंटन की प्रत्याशा मे आहरित करने के निर्देश निर्गत किए गए थे। शासन के संज्ञान मे यह तथ्य आया है कि अधिकतर आहरण वितरण अधिकारियों को बचनबद्ध मदों का बजट उपलब्ध नही कराया गया है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अप्रैल 2004 का वेतन जो माह अप्रैल 2004 के अन्त मे देय है का आहरण कोषागारों द्वारा लेखानुदान मे दर्शाये गये सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत बजट आवंटन की प्रत्याशा मे आवंटित कर दिया जाय। सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी तत्काल सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/बजट अधिकारी से लेखा अनुदान की अवधि (1अप्रैल04 से 31 जुलाई,2004 तक) का बजट प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे जिससे अन्य बचनबद्ध मदों में समय से भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

बजट आवंटन की प्रत्याशा में वेतन आहरित करने के आदेश अन्तिम बार निर्गत किए जा रहे है । अतः प्रशासकीय विभागों का यह उत्तरदायित्व होगा कि बचनबद्ध मदों का बजट समय से विभागाध्यक्षों के निवर्तन पर रखा जाना सुनिश्चित करायेगें ।

भवदीय

(के0सी0मिश्र)
अपर सचिव।

संख्या-310/वि0अनु0–1/2004 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तरांचल शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रक अधिकारी उत्तरांचल।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तरांचल।
4. निदेशक,एन0आई0सी0उत्तरांचल ।
5. निजी सचिव,मा0मुख्यमत्री जी।

आज्ञा से

(के0 सी0 मिश्र)
अपर सचिव।